# झारखण्ड विधान सभा

## तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
एकादश (बजट)–सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक– 02 चैत्र, 1945 [श0] ........ 23 मार्च, 2023 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्र0सं0 | विभागों को भेजी गई सा0 सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| *454 | स–45 | श्री दिनेश विलियम मराण्डी | अस्पताल का निर्माण | स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 09.03.23 |

नोटः–* 454 स–45,दिनांक–17.03.2023 से सदन द्वारा दिनांक–23.03.23 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक–23मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–1405/वि0स0, राँची, दिनांकः–20/03/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
20/03/2023
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

उ0 प्र0 30 –

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–......1405......./वि0स0, राँची, दिनांकः–20/03/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 20.3.2023

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–......1405......./वि0स0, राँची, दिनांकः–20/03/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 20.3.2023

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

20.03.23

मराण्डी/–

सत्यमेव जयते

# पंचम्
# झारखण्ड विधान-सभा

## एकादश (बजट) सत्र

## तारांकित प्रश्न

### वर्ग-05

गुरूवार, दिनांक- 02 चैत्र, 1945 (श0) / 23 मार्च, 2023 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-01 (एक)

| | | |
|---|---|---|
| (1) | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग- | 01 |
| | कुल योग- | 01 |

454 श्री दिनेश विलियम मराण्डी, क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

| | |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के हिरणपुर प्रखण्ड में वर्ष 2011 में 5 करोड़ के लागत से एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था ; | (1) आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल-3,53,59,200/- रू0 की लागत पर पाकुड़ जिलान्तर्गत हिरणपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी। |
| (2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल अभी भी 2022 बीत जाने के बाद भी आधा-अधूरा बना हुआ है ; | (2) स्वीकारात्मक। |
| (3) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल का उपयोग शहर के असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है ; | (3) अस्वीकारात्मक।<br>अस्पताल का उपयोग शहर के असामाजिक तत्वों के द्वारा किये जाने से संबंधित किसी प्रकार की सूचना नहीं है। |
| (4) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा अस्पताल निर्माण की राशि की निकासी कर अस्पताल को आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है ; | (4) योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त पाकुड़ द्वारा चयनित कार्य एजेंसी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पाकुड़ द्वारा किया जा रहा था। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पाकुड़ के पत्रांक-603, दिनांक-14.06.2022 के अनुसार उक्त योजना के विरुद्ध आवंटित राशि 2,25,00,000/- (दो करोड़ पचीस लाख) रुपये के समतुल्य राशि का कार्य करा दिया गया है। |
| (5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का निर्माण पूरा कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | (5) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिरणपुर के भवन निर्माण योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु विभागीय पत्रांक-192(5) दिनांक-23.02.2023 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन की माँग उपायुक्त, पाकुड़ से की गई है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा। |

राँची
दिनांक-23 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

# झारखण्ड विधान सभा

## तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–04

02 चैत,1945 (श0)

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक–.....को
23 मार्च, 2023 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क0 सं0 | विभागों को भेजी गई सां0संख्या | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 667 उ0मुद्रित | कृष–15 | श्री जयप्रकाश भाई पटेल | पद सृजित करना। | कृषि0पशुपालन एवं सहकारिता | 25.02.2023 |
| 668 | कृष–36 | श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की | सब्सीडी देना। | कृषि0पशुपालन एवं सहकारिता | 04.03.2023 |
| 669 | क–13 | श्री किशुन कुमार दास | कार्रवाई करन। | अनु0जा0ज0जा0 अ0.एवं पि0व0क0 | 04.03.2023 |
| 670 | ज–36 | श्री अनंत कुमार ओझा | स्वीकृति देना। | जल संसाधन | 01.03.2023 |
| 671 | ज–40 | श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता | जीर्णोद्धार करना। | जल संसाधन | 06.03.2023 |
| 672 | ज–33 | श्रीमती पुष्पा देवी | नौकरी देना। | जल संसाधन | 01.03.2023 |
| 673 उ0मुद्रित | कृष–21 | श्री सुदिव्य कुमार | लाभ दिलाना। | कृषि0पशुपालन एवं सहकारिता | 25.02.2023 |
| 674 उ0मुद्रित | क–11 | सुश्री अम्बा प्रसाद | कार्रवाई करना। | अनु0जा0ज0जा0 अ0.एवं पि0व0क0 | 27.02.2023 |
| 675 | कृष–37 | श्री मनीष जायसवाल | राशि आवंटित करना। | कृषि0पशुपालन एवं सहकारिता | 04.03.2023 |
| 676 | कृष–29 | सुश्री अम्बा प्रसाद | भुगतान करना। | कृषि0पशुपालन एवं सहकारिता | 27.02.2023 |
| 677 | ज–47 | अमित कुमार मंडल | स्थानांतरण करना। | जल संसाधन | 16.03.2023 |
| 678 | क–12 | श्री किशुन कुमार दास | सुविधा उपलब्ध कराना। | अनु0जा0ज0जा0 अ0.एवं पि0व0क0 | 02.03.2023 |

कृ0पृ0उ0–/

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–05 / 2020– 1402 / वि0स0,रांची,दिनांक– 20/03/23

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/2023

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–05 / 2020– 1402 / वि0स0,रांची,दिनांक– 20/03/23

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान–सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचानार्थ प्रेषित।

20/03/23

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–05 / 2020– 1402 / वि0स0,रांची,दिनांक– 20/03/23

प्रति :– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन एवं वेबसाईट शाखा को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

18.03.2023

राय/

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 679 | ज—22 | श्री जयप्रकाश भाई पटेल | तालाब का गहरीकरण। | जल संसाधन | 25.02.2023 |
| 680 | ज—39 | श्री नलिन सोरेन | बांध का जीर्णोद्धार। | जल संसाधन | 04.03.2023 |
| 681 | ज—16 | श्री उमाशंकर अकेला | लिफ्ट एरिगेशन लगाना। | जल संसाधन | 25.02.2023 |
| 682 | क—18 | श्री विनोद कुमार सिंह | विद्यालय की स्थापना। | अनु0जा0ज0जा0 अ0.एवं पि0व0क0 | 09.03.2023 |
| 683 | मस—10 | श्री कमलेश कुमार सिंह | कार्रवाई करना। | महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा | 15.03.2023 |
| 684 | कृष—39 | श्री अमित कुमार मण्डल | बंदोबस्ती हटाना। | कृषि0पशुपालन एवं सहकारिता | 09.03.2023 |
| 685 | ज—18 | श्री समीर कुमार मोहन्ती | राजस्व की वसूली। | जल संसाधन | 25.02.2023 |
| 686 | ज—46 | श्रीमती सुनिता चौधरी | नहर का निर्माण। | जल संसाधन | 15.03.2023 |
| 687 | मस—08 | श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता | सेवा विस्तार करना। | महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा | 06.03.2023 |
| 688 | ज—34 | श्रीमती पुष्पा देवी | मुहैया कराना। | जल संसाधन | 01.03.2023 |
| 689 | खा—10 | श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी | वितरण करना। | खाद्य सार्व0 वि0एवं उपभोक्ता मामले | 06.03.2023 |
| 690 उ0मुदित | कृष—32 | श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी | लाह किट् बाटना। | कृषि0 पशुपालन एवं सहकारिता | 01.03.2023 |
| 691 | कृष—38 | श्री निरल पुरती | आवंटित करना। | कृषि0 पशुपालन एवं सहकारिता | 04.03.2023 |
| 692 उ0मुदित | कृष—20 | श्री सुदिव्य कुमार | योजना का लाभ। | कृषि0पशुपालन एवं सहकारिता | 25.02.2023 |
| 693 | क—06 | श्री बिरंची नारायण | मरम्मत कराना। | अनु0जा0ज0जा0 अ0.एवं पि0व0क0 | 25.02.2023 |
| 694 | क—14 | डॉ0 लम्बोदर महतो | पट्टा निर्गत करना। | अनु0जा0ज0जा0 अ0.एवं पि0व0क0 | 04.03.2023 |
| 695 | कृष—23 | श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह | लाभ दिलाना। | कृषि0पशुपालन एवं सहकारिता | 01.03.2023 |
| 696 | खा—11 | श्री कमलेश कुमार सिंह | खाद्यान्न उपलब्ध कराना। | खाद्य सार्व0 वि0एवं उपभोक्ता मामले | 14.03.2023 |
| 697 | खा—12 | श्री सरयू राय | मशीन का अद्तन। | खाद्य सार्व0 वि0एवं उपभोक्ता मामले | 14.03.2023 |
| 698 | मस—09 | श्री अमित कुमार यादव | नियुक्ति करना। | महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा | 14.03.2023 |

राँची,
दिनांक—23 मार्च, 2023 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।
कृ0पृ0उ0

## पद सृजित करना ।

उत्तर मुद्रित

*667. श्री जय प्रकाश भाई पटेल--क्या मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत डाड़ी प्रखण्ड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय भवन बना हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि डाड़ी प्रखण्ड मुख्यालय में विभाग द्वारा पशु चिकित्सक का पद सृजित नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को पशुओं के उपचार हेतु काफी परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालय भवन डाड़ी में पशु चिकित्सक का पद सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

**प्रभारी मंत्री**-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । नव सृजित प्रखण्ड होने के कारण प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है । पशुचिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु डाड़ी प्रखण्ड में डॉ० पिंकी तिग्गा, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । जिनके द्वारा पशुचिकित्सा सेवा का कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक । पद सृजन की कार्रवाई विधिवत की जायेगी ।

---------

668

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–कृष– 36 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र० | प्रश्नकर्त्ता<br>श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,<br>माननीय स०वि०स० | उत्तरदाता<br>श्री बादल, माननीय मंत्री,<br>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,<br>झारखण्ड, राँची |
|---|---|---|
| | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 तक पशुपालकों एवं किसानों को हरा चारा का बीज निःशुल्क प्रदान किया जाता था ; | स्वीकारात्मक।<br>केन्द्र प्रायोजित योजना (नेशनल लाईवस्टॉक मिशन) अन्तर्गत वर्ष 2018 तक पशुपालकों एवं किसानों को हरा चारा का बीज निःशुल्क प्रदान किया जाता था। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि, वर्ष 2018 तक पशुपालकों एवं किसानों को कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर एवं कैल्सियम पर सब्सिडी प्रदान की जाती थी, जिसे 2018 में पूर्ववर्ती सरकार ने रोक लगा दिया था, जो वर्तमान में भी जारी है ; | अस्वीकारात्मक।<br>वर्ष 2018 के बाद 2019–20 तक परिस्थितिजन्य एवं प्रक्रियात्मक कारणों से कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर एवं कैल्सियम पर सब्सिडी योजना की स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी।<br>मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर एवं शीतवर्द्धक सप्लीमेण्ट के लिये सबसिडी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके वितरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पशुपालकों एवं किसानों को कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर एवं कैल्सियम की खरीद पर पुनः सब्सिडी प्रदान करने एवं हरा चारा का बीज निःशुल्क प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर एवं शीतवर्द्धक सप्लीमेण्ट के लिये सबसिडी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके वितरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही, कैटल फीड एवं मिनरल मिक्सचर आदि तकनीकी इनपुट सामग्रियों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने तथा हरा चारा का बीज निःशुल्क वितरण हेतु वर्ष 2023–24 के लिये राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत बजटीय प्रावधान किया गया है।<br>स्वीकृत बजटीय उपबंध के सापेक्ष नियमानुसार सुसंगत योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते हुए पशुपालकों एवं किसानों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा। |

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 24/2023 ...360.../ राँची, दिनांक 18/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 953 दिनांक 04.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/2023
(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 24/2023 ...360.../ राँची, दिनांक 18/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (विधायी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 335 दिनांक 13.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/2023
सरकार के अवर सचिव

669

मा० श्री किशुन कुमार दास, स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–क०–13 का उत्तर :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कराने का प्रावधान है; | आंशिक स्वीकारात्मक। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन निगम या अन्य एजेंसी के माध्यम से की जा सकती है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि निगम सहकारी संख्या है, जिसकी आम सभा अनिवार्य रूप से वार्षिक (वर्ष में एक बार) कराने का प्रावधान है; | स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि निगम के माध्यम से लाभुक समिति बनाकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, परन्तु निगम द्वारा NGO के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, जबकि NGO की कार्य गुणवत्ता के लिए तकनीकी कार्य सर्वेक्षण का प्रमाण–पत्र सरकार से प्राप्त नहीं है; | आंशिक स्वीकारात्मक। योजनाओं का क्रियान्वयन लाभुक समिति द्वारा कराया जाता है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियमावली के प्रावधान के तहत् निगम की वार्षिक बैठक कराने, प्रावधान के विपरित लीडर NGO घोषित करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं योजनाओं का क्रियान्वयन लाभुक समिति /कोपरेटिव सोसाईटी के माध्यम से कराना चाहती है, हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स०(तारांकित)–04 / 2023 - 722 राँची, दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–957, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/03/23
(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Santosh\Vidhan sabha 2023 ans letter.docx25

## श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि साहेबगंज सदर प्रखंड के गोपालपुर दियारा, राजमहल प्रखंड के सरकण्डा से शोभापुर एवं उधवा प्रखंड के श्रीधर दियारा के कॉलोनी नं०–10 से प्राणपुर दियारा तक गंगा कटाव निरोधक कार्य हेतु स्थलों का सर्वेक्षण के पश्चात कटाव निरोधक कार्यो के तैयार प्राक्कलन का योजना समीक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, परन्तु निर्माण कार्य लंबित है ; | अस्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखंड अन्तर्गत गंगा नदी के दाये तट पर नारायण कॉलोनी सं०–02 से रानीगंज–03 न० तक 1200 मीटर लंबाई का क्षेत्र कटाव प्रभावित क्षेत्र का निरोधक कार्य हेतु प्राक्कलन राज्य तकनीकी सलाहकार तथा योजना समीक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, परन्तु निर्माण कार्य लंबित है ; | अस्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है खण्ड (1) एवं (2) में वर्णित योजनाओं के निर्माण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गई है ; | स्वीकारात्मक। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) एवं (2) में वर्णित योजनाओं के निर्माण गंगा कटाव निरोधक कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | साहेबगंज सदर प्रखंड के गोपालपुर दियारा गंगा नदी के मध्य अवस्थित दियारा है। प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उपरोक्त गॉव में गंगा नदी का पानी भर जाता है तथा वहॉ रहने वाले लोग ऊँचे स्थान पर चले जाते है, पुनः गंगा नदी का जलस्तर कम होने पर लोग वापस आ जाते है। ऐसा प्रत्येक वर्ष होता है।<br>सरकण्डा से शोभापुर में कटाव निरोधक कार्य का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।<br>उधवा प्रखण्ड के श्रीधर दियारा के कॉलोनी नं0–10 में प्राणपुर दियारा में कटाव निरोधक कार्य का तकनीकी सलाहकार समिति (T.A.C) एवं योजना समीक्षा समिति (S.R.C) से स्वीकृति के उपरान्त अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जा सकेगा।<br>खण्ड–2 में उल्लेखित कार्य को क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति, देवघर द्वारा Wait & Watch में रखा गया है।<br>प्रश्नगत कार्यों का तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृति के उपरान्त विभाग स्तर पर गठित योजना समीक्षा समिति के अनुशंसा के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। |

# झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–36/2023 – 1564 /राँची, दिनांक 17/03/23

**प्रतिलिपि** :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 807 वि०स० दिनांक 01.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

671

# श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–40 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड–निरसा अन्तर्गत पोद्धारडीह में काफी पुराना तालाब रानी बांध अवस्थित है तथा तालाब मिट्टी, गाद, कीचड़ एवं खर–पतवार से भर गया है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि रानी बांध तालाब की भूमि अंचल अधिकारी, निरसा धनबाद के पत्रांक–353, दिनांक–16.03.2020 के आलोक में वर्णित भूमि मौजा पोद्धारडीह, मौजा नं०–105, खाता संख्या–67, प्लॉट संख्या–839, रकवा–46.56 एकड (किस्म रानी बांध) अनाबाद बिहार/झारखण्ड के नाम हाल सर्वे खतियान में दर्ज है; | आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नगत् तालाब विवादित है। अंचलाधिकारी, निरसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है जबकी उन्ही के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि टाईटल सूट अपील संख्या–83 वर्ष 1968 में जिला जज धनबाद के न्यायालय से 19.08.1961 में पारीत आदेश तथा दिनांक–25.01.1967 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अपील संख्या–1197/1961 में पारीत आदेश श्री रघुवीर नारायण सिंह पिता–स्व० सूर्य नारायण सिंह के पक्ष में है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब से आस–पास के गाँव–पोद्धारडीह, पाण्डु, कुंथल, संबंधपुर आदि गाँवों में जलापूर्ति होती है तथा ग्रामीण पुजा–पाठ, मुंडन संस्कार आदि कार्यों में लोगों को काफी कठिनाई होती है; | स्वीकारात्मक। जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई कार्य हेतु योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जाता है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रानी बांध तालाब का गहरीकरण कर जीर्णोद्धार कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | वर्तमान में मैथन पावर लिमिटेड के सामग्री आपूर्ति हेतु तालाब के सिंचन क्षेत्र में रेलवे लाईन बनाया गया है एवं सिंचित क्षेत्र में आवासीय मकान भी बनाया जा रहा है। तालाब विवादित होने एवं सिंचित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना का जीर्णोद्धार कराना संभव नहीं है। |

## झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–42/2023.....1562 / राँची, दिनांक–17/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–1007 दिनांक–06.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

672

## माननीया स0वि0स0, श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ज–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्रं0 | तारांकित प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के महत्वपूर्ण उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना अंतर्गत बटाने जलाशय परियोजना वर्ष 1977–78 में शुरुआत की गई थी; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>बटाने जलाशय योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इस योजना के लिए सरकार द्वारा नौडीहा बाजार प्रखण्ड के नावाडीह, गुलाबझरी एवं छत्तरपुर प्रखण्ड के दिनादाग, भंडारडीह, कउवल एवं धोबीडीह गाँव के रैयतों से तीन चरणों में क्रमशः 1977–78, 1983–84 एवं 1995–96 में कुल 3350 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया था ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>योजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) में प्रावधानित कुल 3350 एकड़ भूमि में से 1871.785 एकड़ रैयती भूमि है जिसके विरूद्ध 1655.63 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा विस्थापित परिवारों को 2700 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान कर 750 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान लंबित रखा गया है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>योजना हेतु कुल आवश्यक 1871.785 एकड़ रैयती भूमि के विरूद्ध 1655.630 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है एवं 204.365 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना शेष है। उक्त शेष भूमि के अधिग्रहण हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तर कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को रू0 11749.69 लाख उपलब्ध करा दिया गया है।<br>विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी के स्तर से उक्त 204.365 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान प्राप्त करने हेतु भू–अर्जन के अधिनियम 2013 की धारा 37(2) का नोटिस तीन बार तामिला कराया गया है।<br>सम्बंधित रैयतों के द्वारा भू–स्वामित्व/वंशावली प्रमाण पत्र (L.P.C) एवं अन्य राजस्व कागजात विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत मुआवजा राशि का भुगतान सम्बंधित रैयतों को कर दिया जाएगा। |
| 4. | क्या यह बात सही है कि 46 विस्थापित परिवारों को वन भूमि पर 25 डी० जमीन दी गई है, लेकिन वन पट्टा नहीं दिये जाने से वे लोग सरकार के कल्याणकारी योजनाओ के लाभ से वंचित है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>योजना अंतर्गत 46 नहीं, अपितु 39 विस्थापित परिवारों को मांडर पुनर्वास स्थल पर 25–25 डी० जमीन वन भूमि पर दी गई है। वन विभाग द्वारा उक्त भूमि का हस्तांतरण अब तक नहीं किया गया है।<br>यह काफी पुराना मामला है तथा अभी संज्ञान में आया है। जल संसाधन विभाग द्वारा वन विभाग के साथ समन्वय |

| | | |
|---|---|---|
| | | स्थापित करते हुए, उक्त भूमि का वन पट्टा विस्थापितों को दिलाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। |
| 5. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बटाने डैम के विस्थापित परिवारों को 750 एकड़ भूमि के बकाये मुआवजा का भुगतान करते हुए वन पट्टा देने के साथ–साथ झारखण्ड पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 के कंडिका–9.2 के तहत नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ? | योजना अंतर्गत डूब क्षेत्र के 6 ग्रामो के शेष 204.365 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करते हुए सम्बंधित भू–धारियों को मुआवजा राशि भुगतान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>झारखण्ड पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 की कंडिका–9.2 के अनुसार स्वीकृत रिक्त बल के विरुद्ध नियुक्ति में विस्थापितों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। |

**झारखण्ड सरकार**
**जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक :– 1672 /राँची, दिनांक– 22/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–804, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/23

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

लाभ दिलाना ।

*673. श्री सुदिव्य कुमार--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोड के प्रबंधकीय नियंत्रण में संचालित झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा वर्ष-2019-2020 से वर्ष 2023-2024 के लिए समर्पित 05 वर्षीय झारखण्ड डेयरी डेवलपमेंट प्लान अन्तर्गत गिरिडीह में डेयरी प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त समय सीमा के अन्दर अबतक डेयरी प्लांट स्थापित करने हेतु भूमि का चयन नहीं किया जा सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सदर प्रखण्ड गिरिडीह में भूमि के चयनोपरांत वित्तीय वर्ष-2023-2024 तक डेयरी प्लांट का निर्माण कराकर यहाँ के दूध उत्पादकों को उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

**प्रभारी मंत्री**-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । डेयरी प्लांट निर्माण हेतु गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रखण्ड-जमुआ, ग्राम-परगोडीह में 3.33 एकड़ भूमि उपलब्ध है तथा गौशाला खरगडीहा, मिर्जागंज की 1.67 एकड़ भूमि हस्तांतरण हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

वर्तमान प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुरूप 50 हजार लीटर क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए न्यूनतम 8.7 एकड़ भूमि की आवश्यकता है ।

उपलब्ध भूमि के सन्निकट 3.7 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन, गिरिडीह से अनुरोध किया गया है ।

(3) जिला प्रशासन, गिरिडीह से जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर डेयरी प्लांट के निर्माण की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

---

कार्रवाई करना ।

*674. सुश्री अम्बा प्रसाद--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी में एन०टी०पी०सी० के अधीनस्थ कार्य कर रही एल एण्ड टी कंपनी के द्वारा कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र के ग्राम काबेद, मौजा पगार के खाता नंबर-436, प्लॉट नंबर-282 में स्थित कब्रिस्तान पर अवैध रूप से कब्जा कर कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कराया जा रहा है जिसका उक्त क्षेत्र के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कब्रिस्तान पर बनाए जा रहे कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कराने हेतु कारखाना निरीक्षक तथा DGMS CCL द्वारा नक्शा पारित नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कब्रिस्तान के ऊपर अवैध रूप से कन्वेयर बेल्ट का निर्माण करा रहे एल एण्ड टी कंपनी एवं उसके प्रबंधन पर एफ०आई०आर० दर्ज कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

**प्रभारी मंत्री**-- (1) उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-436/क०, दिनांक 10 मार्च, 2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकारात्मक ।

(2) उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-436/क०, दिनांक 10 मार्च, 2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अस्वीकारात्मक ।

(3) DGMS CCL, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित नहीं है ।

(4) उपर्युक्त कण्डिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट है ।

---

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब से आस-पास के गाँव पोद्धारडीह, पाण्डु, कुंथल, संबंधपुर आदि गाँवों में जलापूर्ति होती है तथा ग्रामीण पूजा-पाठ, मुंडन संस्कार आदि कार्यों में लोगों को काफी कठिनाई होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रानी बांध तालाब का गहरीकरण कर जीर्णोद्धार कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

---

675

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–कृष– 37 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र० | प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता |
|---|---|---|
| | श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० | श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची |
| | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य के हजारीबाग, राँची, दुमका, साहेबगंज, चाईबासा सहित अन्य जिलों में गौ तस्करी में जितने भी गौ पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है, सभी को स्थानीय गौशालाओं को दे दी जाती है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक लगभग 05 हजार गौ तस्करी के दौरान पुलिस द्वारा पकड़ी गई है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार की उपेक्षाओं के कारण गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण उक्त गौशालाओं में गौ के रख–रखाव में काफी कठिनाई हो रही है ; | अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार के अधीन निबंधित गौशालाओं के आधारभूत संरचना निर्माण तथा जब्त पशुओं के भोजनादि व्यवस्था हेतु राशि उनके माँग के आधार पर नियमानुसार गो सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के गौशालाओं के रख–रखाव हेतु राशि आवंटित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राज्य सरकार के अधीन निबंधित गौशालाओं के आधारभूत संरचना विकास हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में दो किस्तों में राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। गौशाला में रखे गये जब्त पशुओं के भोजनादि की व्यवस्था हेतु प्रतिदिन प्रति पशु रु० 100/– की दर से एक वर्ष तक के लिए राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। |

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 374 / राँची, दिनांक 21/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 952 दिनांक 04.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 374 / राँची, दिनांक 21/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (विधायी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 334 दिनांक 10.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.23

सरकार के उप सचिव

676

**सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–29 का प्रश्नोत्तर।**

| क्र. | **प्रश्नकर्ता**–सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 | **उत्तरदात्ता**–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि उद्यान विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड के लिए 1–1 उद्यान मित्र चयनित व कार्यरत है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि कार्यरत प्रखण्ड उद्यान मित्र को वर्त्तमान समय में 1500 प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष 18000 वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राज्यादेश संख्या–93/ दिनांक–25.07.2019 में कार्यरत प्रखण्ड उद्यान मित्रों को प्रतिवर्ष राशि बढ़ोतरी करने का जिक्र/उल्लेख किया गया था लेकिन वर्ष 2019 के बाद वर्त्तमान समय तक किसी प्रकार की राशि की बढ़ोतरी नहीं की गई है ; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी प्रखण्डों में कार्यरत उद्यान मित्रों के लिए वार्षिक प्रोत्साहन राशि के बदले मासिक मानदेय लागू कराते हुए भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उद्यान मित्रों के प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के बिन्दु पर विभाग द्वारा समीक्षोपरांत उचित निर्णय लिया जायेगा। |

**झारखण्ड सरकार**
**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**
**(कृषि प्रभाग)**

**ज्ञापांक**–03/कृ0वि0स0(ता0)–17/2023 757 /कृ0, राँची, दिनांक– 21/03/2023
**प्रतिलिपिः**– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–676 दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

**ज्ञापांक**–03/कृ0वि0स0(ता0)–17/2023 757 /कृ0, राँची, दिनांक– 21/03/2023
**प्रतिलिपिः**– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23

सरकार के अवर सचिव।

677

**श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–47 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| क्र० | प्रश्न | अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि दुमका प्रमंडल अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता कार्यालय क्रमशः सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग में तृतीय वर्ग पर पदस्थापित कर्मियों का स्थानान्तरण विगत् 15 वर्षों से नहीं हुई है, जिस कारण कार्यरत कर्मियों का संबंधित विभाग में अधिपत्य स्थापित होने से लोकहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं ; | **अस्वीकारात्मक**<br><br>दुमका प्रमंडल अन्तर्गत सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के अंचलीय कार्यालयों में क्रमशः वर्ष 2019 में 31 कर्मियों एवं 2022 में 16 कर्मियों का स्थानान्तरण–पदस्थापन की गई है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेवा संहिता के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | **लागू नहीं** |

**झारखण्ड सरकार**
**जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक संख्या–6/ज०स० वि०–20–तारांकित–52/2023:– 1691 /राँची, दिनांकः–22/03/23

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1259, दिनांक–16.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र कुमार) 22/3/23
सरकार के अवर सचिव

678

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–12 का उत्तर :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय में अनुसूचित जाति आवासीय छात्रावास बना हुआ है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि छात्रावास में बेड, शौचालय एवं पेयजल की स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से आकर रहने वाले छात्रों को पठन–पाठन में काफि कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; | स्वीकारात्मक।<br>छात्रावास लगभग 25–30 वर्ष पूर्व का बना हुआ है एवं वर्तमान में पूरी तरह जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण कोई भी छात्र वर्तमान में आवासीत नहीं हैं। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसूचित जाति आवासीय छात्रावास को पुर्ननिर्माण कर उपरोक्त सभी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | प्रश्नगत छात्रावास के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार हेतु चतरा जिला से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। |

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–08/2023–क– 724 /राँची, दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–891, दिनांक–02.03.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.2023

(योगेश कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

679

**श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज–22 का प्रश्नोत्तर।**

| क्र. | **प्रश्नकर्ता–** श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 | **उत्तरदात्ता**–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम–पंचायत–बेड़ाहरियारा में बड़की बाँध अवस्थित है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित बाँध के गहरीकरण होने से उसके इर्द–गिर्द निवास करने वाले किसानों को कृषि कार्य करने हेतु सिंचाई के साधन सुलभ हो जायेंगे; | स्वीकारात्मक। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़की बाँध तालाब का गहरीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | वर्णित तालाब सक्षम स्तर से अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है। |

**झारखण्ड सरकार**
**<u>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग</u>**
**(कृषि प्रभाग)**

**ज्ञापांक**–03 / कृ0वि0स0(ता0)–29 / 2023 759 **/कृ0, राँची, दिनांक**– 21/03/2023
**प्रतिलिपिः**– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–545 दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23
(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

**ज्ञापांक**–03 / कृ0वि0स0(ता0)–29 / 2023 759 **/कृ0, राँची, दिनांक**–21/03/2023
**प्रतिलिपिः**– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबवाईट / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23
सरकार के अवर सचिव।

**ज्ञापांक**–03 / कृ0वि0स0(ता0)–29 / 2023 759 **/कृ0, राँची, दिनांक**– 21/03/2023
**प्रतिलिपिः**– अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को उनके पत्रांक–1404 दिनांक–09.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23
सरकार के अवर सचिव।

680

# श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-39 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड–रानेश्वर के ग्राम–वृन्दाबनी/मीटरा के बीच अर्जुन बांध बनाया गया था, जो 10–12 वर्ष पूर्व भारी बारिश से टूट कर बह गया; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि अर्जुन बांध टूट जाने के कारण प्रखण्ड–रानेश्वर के पंचायत–वृन्दाबनी के सभी गाँव तथा पंचायत–बांसकुली के सभी किसान पटवन के सुविधा से वंचित है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>बृन्दाबनी पंचायत में टोंगरा/बृन्दाबनी जोरिया पर श्रृंखलाबद्ध चेकडेम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसका कमाण्ड क्षेत्र 77 हे० (खरीफ–54 हे० एवं रब्बी–23 हे०) है। साथ ही रानेश्वर प्रखण्ड के अंतर्गत 11 अदद चेकडैम का निर्माण एवं 07 अदद मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है जिससे कुल 1343 हे० सिंचन क्षमता सृजित/पुनर्जीवित की गई है तथा 05 अदद चेकडैम का निर्माण एवं 02 अदद मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है जिससे कुल 311 हे० अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित/पुनर्जीवित की जा सकेगी। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि लघु सिंचाई योजनाओं का चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार कार्य हेतु वर्ष 2018–19 में तैयार प्रोफाईल में योजना का चयन कर प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है; | स्वीकारात्मक। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अर्जुन बाँध का जीर्णोद्धार कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों? | योजना का प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर तैयार किया जा रहा है।<br>बजटीय उपबंध के आलोक में आगामी वर्षों में योजना का जीर्णोद्धार कराने पर निर्णय लिया जाएगा। |

## झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–40/2023...1673... / राँची, दिनांक–22/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–950 दिनांक–04.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

681

## श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-16 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है हजारीबाग जिला के अन्तर्गत चौपारण के विभिन्न गांव जैसे छतरपुर, चयकलाँ, बेला, अकुरहवाँ, ठुठी, मानगढ़, लोहड़ी में सिंचाई हेतु लिफ्ट एरीगेशन लगाया जाना आवश्यक है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त भागों में लिफ्ट एरीगेशन लगाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | विस्तृत सर्वेक्षणोंपरांत तकनीकी संभाव्यता पाये जाने पर लाभुक समिति द्वारा योजना के संचालन, देख–रेख तथा विद्युत विपत्र के भुगतान का शपथ–पत्र प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध के आलोक में आगामी वर्षों में योजनाओं के निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा। |

**झारखण्ड सरकार**
**जल संसाधन विभाग, राँची**

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–16 / 2023 1565 / राँची, दिनांक– 17/03/23

**प्रतिलिपि** :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–543 दिनांक–26.02.2023 के क्रम में 5 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

**सरकार के अवर सचिव**
जल संसाधन विभाग, राँची

682

मा० श्री विनोद कुमार सिंह, स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–क०–18 का उत्तर :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी और सरिया प्रखण्ड में अनुसूचित जाति की आबादी 15% से ज्यादा है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि बिरनी और सरिया शैक्षणिक रूप से पिछड़ा प्रखण्ड घोषित है, जहां अनुसूचित जाति में शिक्षा का स्तर निम्नतर है; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है; | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बिरनी और सरिया प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों में शिक्षा का स्तर में उन्नति हेतु बिरनी में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना करेगी, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | अम्बेडकर नवोदय विद्यालय की स्थापना से संबंधित योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। भारत सरकार द्वारा योजना की Guidelines तैयार किए जाने के उपरान्त Guidelines के अनुरूप पाए जाने पर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजी जाएगी। |

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स०(तारांकित)–05 / 2023– 721 राँची, दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1082, दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/03/23

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Santosh\Vidhan sabha 2023 ans letter.docx14

683

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–10 का उत्तर

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के चौखंडा आंगनबाड़ी केन्द्र में सेविका के चयन हेतु दिनांक– 27.01.2020 को आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीमती ममता देवी नामक महिला के चयन को लेकर विवाद होने के कारण तत्कालीन प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, श्री आफताब आलम के द्वारा दिनांक– 27.02.2020 को चौखंडा ग्राम में पहुंचकर जांच किया गया तथा श्री आलम ने उक्त ग्रामीणों को उसी स्थल पर लिखित आश्वासन दिया कि ग्रामीणों के बीच जाति की बहुलता के लिए विरोधाभास है, इसके लिए डोर टू डोर सर्वे कराया जाएगा ; | स्वीकारात्मक।<br>जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री आफताब आलम, तत्कालीन प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू के द्वारा दिनांक– 27.02.2020 को चौखंडा ग्राम पहुंचकर जाँच किया गया परंतु श्री आलम ग्रामीणों को उसी स्थल पर लिखित आश्वासन दिया, इससे संबंधित विवरणी संचिका के टिप्पणी पृष्ठ में उल्लिखित नहीं है और न ही इससे संबंधित कोई पत्र संलग्न है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित आश्वासन की कॉपी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू श्रीमती संध्या रानी के द्वारा जानबूझकर संचिका से हटाकर खण्ड–1 में वर्णित आमसभा के लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद दिसम्बर, 2022 में श्रीमती ममता देवी को सेविका के पद पर नियुक्त कर दिया गया ; | जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र चौखण्डा में सेविका चयन से संबंधित संचिका में सिर्फ डोर–टू–डोर सर्वे कराने की बात अंकित है, जिस पर तत्कालीन उप विकास आयुक्त, पलामू द्वारा पुनः सर्वे की जांच कर बहुलता की स्थिति स्पष्ट करने हेतु आदेश दिया गया है। संबंधित महिला पर्यवेक्षिका, प्रभारी सेविका एवं वार्ड सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पिछड़ी जाति की बहुलता बताई गई है। उप विकास आयुक्त, पलामू के अनुमोदनोपरान्त श्रीमती ममता देवी को सेविका पद हेतु चयनित किया गया जो पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आती है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुसैनाबाद प्रखण्ड के चौखंडा केन्द्र में आमसभा के लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अवैध तरीके से चयनित सेविका को चयन मुक्त करने एवं चयन करने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती ममता देवी, चयनित सेविका, चौखंडा द्वारा दिनांक– 13.03.2023 को सेविका पद से त्यागपत्र दिया गया है। |

**झारखण्ड सरकार**

**महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग**

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– /2023 – 760 राँची, दिनांक : 22.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1214/वि0स0 दिनांक–15.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/23

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

684

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–कृष– 39 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र० | प्रश्नकर्त्ता<br>श्री अमित कुमार मंडल,<br>माननीय स०वि०स० | उत्तरदाता<br>श्री बादल, माननीय मंत्री,<br>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,<br>झारखण्ड, राँची |
|---|---|---|
| | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के प्रखंड पथरगामा पंचायत व ग्राम–कोरका घाट स्थित शिव मंदिर के बगल के चंदन तालाब को मछली पालन हेतु मछुआ सोसाईटी को तीन वर्ष के लिए बन्दोबस्त कर देने से तालाब के आस–पास कृषकों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीणों, किसानों में आक्रोश व्याप्त है एवं तालाब में गंदगी फैलने से बगल के मंदिर के धर्म आस्था पर चोट पहुँचता है ; | प्रश्नगत् तालाब विभागीय परिपत्र संख्या–114 दिनांक–18.01.1992 के आलोक में बारकोप मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, अंचल–पत्थरगामा के साथ तीन वर्षों के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 तक बन्दोबस्त है।<br>पूर्व में इस तालाब के आस–पास के ग्रामीणों को सिंचाई की सुविधा दी गई है। इस वर्ष देर से वर्षापात के कारण मात्र गेहूँ के फसल हेतु सिंचाई के लिए पानी दिया गया है।<br>ग्रामीणों द्वारा किये गये मूर्ति विसर्जन इत्यादि के उपरान्त फैली गंदगी को वर्तमान में साफ कर दिया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि, खण्ड एक में वर्णित तालाब की बन्दोबस्ती रद्द करने के लिए विधायक गोड्डा द्वारा सचिव/निदेशक, मत्स्य विभाग को छः माह पूर्व पत्र प्रेषित किया गया है ; | उक्त स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तालाब के आस–पास के किसानों एवं ग्रामीण के व्यापक हित में चंदन तालाब की बन्दोबस्ती मछुआ सोसाईटी से हटाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | यथा उपर्युक्त। |

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 375 / राँची, दिनांक 21/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 1081 दिनांक 09.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 375 / राँची, दिनांक 21/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (विधायी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 336 दिनांक 13.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.23

सरकार के उप सचिव

685

## श्री समीर कुमार मोहन्ती , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि सुवर्णरेखा परियोजना के गालूडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 7.02 से कि०मी० 10.23 के बीच नहर का निर्माण कार्य एकरारनामा संख्या–SBD 07/2013-14 दिनांक–06.03.2014 के तहत् मेसर्स SEW Infrastructure Ltd, Hyderabad को जल संसाधन विभाग के पत्रांक–269 दिनांक–23.06.2022 द्वारा दिनांक–31.03.2023 तक कार्य पूरा करने हेतु समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि नहर निर्माण कार्य को पूरा किये वगैर मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वगैर अनुशंसा में जमानत मद की रू० 1.00 करोड़ की राशि का भुगतान SEW Infrastructure Ltd, Hyderabad को कर दिया गया है ; | स्वीकारात्मक।<br>मुख्य अभियंता, चाण्डिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर द्वारा रू० 94,15,660.00 मात्र Performance Security मद में कटौती की गयी राशि विमुक्त किया गया है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित संवेदक का एकरारनामा को विखंडित करते हुए काली सूची में दर्ज करने एवं वगैर कार्य पूर्ण किए जमानत की लगभग 1.00 करोड़ की राशि का अनैतिक भुगतान करने वाले मुख्य अभियंता पर सरकारी राजस्व का गबन करने हेतु FIR दर्ज कर सरकारी राजस्व की वसूली कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | प्रश्नगत मामलें में जमानत की राशि के अनियमित भुगतान एवं कार्य के ससमय पूर्ण नहीं कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक–3573, दिनांक–07.07.2022 द्वारा उड़नदस्ता से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में उड़नदस्ता द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को वर्तमान में समर्पित किया गया है, जो दिनांक–10.03.2023 को विभाग में प्राप्त हुआ है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है। समीक्षोंपरान्त अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। |

## झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

**ज्ञापांक संख्या– 6 / ज०स०वि०–20–तारां०–18 / 2023 –** 1669 **/राँची, दिनांक** 22/03/23

**प्रतिलिपि :–** उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 548 वि०स० दिनांक 26.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

686

**श्रीमती सुनिता चौधरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–46 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि भैरवा जलाशय में दोनों तरफ 32 कि०मी० नहर निर्माण का काम पूरा होने से गोला, दुलमी, चितरपुर प्रखण्ड क्षेत्र की 4,857 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि जलाशय निर्माण के पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी नहर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिसके कारण दर्जनों गाँवों के किसान सिंचाई कार्य से वंचित है। | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भैरवा जलाशय के बाई ओर 14 कि०मी० और दाई ओर 13.10 कि०मी० लम्बी नहर का निर्माण कराने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | भैरवा जलाशय योजना में दो मुख्य नहर, बॉयी मुख्य नहर एवं दॉयी मुख्य नहर जिसकी लम्बाई क्रमशः 15.64 कि०मी० एवं 16.89 कि०मी० एवं वितरणियों का निर्माण प्रस्तावित है। मिट्टी बांध का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा बॉयी मुख्य नहर का कार्य लगभग 25 प्रतिशत एवं दॉयी मुख्य नहर का कार्य लगभग 40 प्रतिशत कराया गया। परन्तु नहर के Alignment में बसावट हो जाने तथा भू–अर्जन की सम्सया के कारण नहर का निर्माण नहीं हो पाया है।<br><br>भैरवा जलाशय योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना है।<br><br>पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु योजना के अवशेष कार्यों का सर्वेक्षण कर पी०पी०आर० तैयार करने के लिए WAPCOS Limited को कार्य आवंटित किया गया है। पी०पी०आर० प्राप्त होने के उपरांत इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जा सकेगी। |

# झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–51/2023 – 1668 /राँची, दिनांक 22/03/23

**प्रतिलिपि** :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1213 वि०स० दिनांक 15.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

687

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–08 का उत्तर

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक खान एवं घनी आबादी का क्षेत्र है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक–2126, दिनांक–11.09.2015 एवं संकल्प संख्या–2020, दिनांक–03.12.2015 द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत् राज्य के जिलों में ग्राम सभा व प्रखण्ड स्तरीय चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण सखियों की नियुक्ति की गयी थी ; | स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि पूर्व से कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण सखियों को कार्य से पदमुक्त कर दिया गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| 4. | क्या यह बात सही है कि कार्यमुक्त करने के कारण पोषण सखियों को घर–परिवार, जीवन–यापन व बेरोजगार होने के कारण काफी कष्ट झेल रही है ; | अस्वीकारात्मक।<br>इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। |
| 5. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पूर्व से कार्यरत उपरोक्त कार्यमुक्त किये पोषण सखियों को सेवा विस्तार देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | भारत सरकार द्वारा पोषण सखी के लिए अनटाइड फंड बन्द कर दिया गया है। तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या–720, दिनांक–24.03.2022 द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह– पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय भुगतान दिनांक– 31.03.2022 तक करने एवं दिनांक–01.04.2022 के प्रभाव से इनकी सेवा समाप्त करने संबंधी निर्णय निर्गत है। सम्प्रति पोषण सखियों की सेवा विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव विभागान्तर्गत विचाराधीन नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**

**महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग**

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–75/2023 – 722 राँची, दिनांक : 20.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1009/वि0स0 दिनांक–06.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

688

## माननीया स0वि0स0, श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ज–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्रं0 | तारांकित प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित जिला पलामू के पाटन प्रखंड के किसान सिंचाई सुविधा से वंचित है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि पाटन प्रखंड में पांकी अमानत बराज से पाटन प्रखंड के लोईंगा, अंगरा होते हुए सुठा, रजहारा, किशुनपुर, जघांसी, पचकेड़िया, सेमरी, शोले के बीच नहर निर्माण अधूरा रहने से सैकड़ों गांव के हजारो किसान सिंचाई के अभाव में पलायन को मजबुर है; | अस्वीकारात्मक।<br>1. अमानत बराज योजनान्तर्गत बराज (असैनिक एवं यांत्रिक कार्य) का 95 प्रतिशत, मुख्य नहर का 40 प्रतिशत एवं वितरणी का 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जा चुका है।<br>2. उक्त योजना में पड़ने वाले 127.85 हे0 हेतु Stage-I वन भूमि अपयोजन की सशर्त्त स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है। इन शर्त्तों का अनुपालन तथा योजनान्तर्गत अवशेष भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सम्प्रति, योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।<br>3. प्रश्नगत ग्राम मुख्य नहर से निस्सृत सिक्की वितरणी से संबंधित है। अतः मुख्य नहर संचालित होने के उपरांत ही वितरणी से प्रश्नगत ग्रामों में सिंचाई होना संभव है। किसानों के पलायन संबंधित सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित अधूरे नहर निर्माण कार्य को पूर्ण कर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों? | 1. योजना का अद्यतन अनुसूचित दर PL–2021 पर तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>2. योजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से बराज में जल संग्रहण के निमित्त इसके Left Afflux Guide Bund के अवशेष 185 मीटर के निर्माण हेतु इसके डूब क्षेत्र के पड़ने वाले ग्राम नुरू, चन्द्रपुर आदि ग्रामो का भू–अर्जन कार्य पूर्ण किया जाना अपेक्षित है जो भू–अर्जन के विभिन्न धाराओं यथा धारा–19 के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है।<br>3. इस योजना हेतु 127.85 हे0 वन भूमि के अपयोजन का Stage-1 Clearance भारत सरकार से 21 शर्त्तों के साथ प्राप्त है जिसमें से 19 शर्त्तों का अनुपालन किया जा चुका है एवं शेष दो शर्त्तों के अनुपालन की कार्रवाई प्रगति में है। इन शर्त्तों का अनुपालन तथा योजनान्तर्गत अवशेष भू–अर्जन शीघ्र पूरा करा कर योजना को वर्ष 2025–26 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। |

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 1563 /राँची, दिनांक– 17/03/23

**प्रतिलिपि** – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 806, दिनांक– 01.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

झारखण्ड सरकार 689

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि सरकारी राशन के दुकानों से गरीब व्यक्तियों/उपभोक्ताओं को विटामिनयुक्त चावल का वितरण किया जा रहा है; | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक– 15-1/2017-BP-II (pt.) (e-337997) दिनांक 26.02.2022 द्वारा Aspirational एवं High Burden जिलों में फोर्टिफाईड वितरण करने का निदेश प्राप्त हुआ था। झारखण्ड के 24 जिलों में से 23 जिले (धनबाद को छोड़कर) इस श्रेणी में आते हैं।<br><br>उक्त के आलोक में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित Steering Committee की दिनांक 15.03.2022 को आहूत बैठक में राज्य के सभी जिलों में फोर्टिफाईड राईस वितरण करने का निर्णय लिया गया।<br><br>उक्त क्रम में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के उपरांत राज्य के सभी जिलों में फोर्टिफाईड राईस का वितरण किया जा रहा है।<br><br>फोर्टिफाईड राईस में फोलिक एसिड, विटामिन $B_{12}$ एवं आयरन पाया जाता है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि अनावश्यक रूप से विटामिन के अवशोषण के कारण स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य पर और प्राकृतिक रूप से विटामिन का अवशोषण करने वाले आंतरिक अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है; | इस तरह का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है।<br>वितरण के प्रारंभ में लाभुकों के बीच फोर्टिफाईड राईस के उपभोग के संबंध में कतिपय भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई थी जिसे जागरूकता अभियान चलाकर इन भ्रांतियों को दूर किया गया है।<br><br>इसी क्रम में AIIMS, RIMS एवं महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा के विशेषज्ञों द्वारा जमशेदपुर जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। भारतीय खाद्य निगम, राँची द्वारा भी पलामू, देवघर, राँची एवं धनबाद जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। लाभुकों के बीच जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर एवं विज्ञापन का प्रकाशन कराया जा रहा है। |
| (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जाँच कराकर जरूरत के अनुरूप विटामिनयुक्त चावल का वितरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–26/2023 932 /राँची, दिनांक 17/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–1008, दिनांक 06.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/23
सरकार के अवर सचिव।

## लाह कीट बाँटना ।

उत्तर मुद्रित

*690. श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोलेबिरा विधान-सभा क्षेत्र समेत पुरे जिला में पिछले वर्ष-2022 में बरसात के समय अत्याधिक प्राकृतिक बिजली कड़कने के कारण लाह का फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया था, जिससे गरीब किसानों को काफी नुकसान हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि मानसून सही समय पर नहीं आना और सही मात्रा में सिमडेगा जिला में वर्षा नही होने के कारण धान की पैदावार भी कम हुई थी, जिससे गरीब किसानों को काफी नुकसान हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को राहत देते हुए उनके बर्बादी की भरपाई के लिए किसानों को चिन्हित कर उचित मुआवजा राशि देने का और किसानों को अनुदान के तौर पर लाह किट इस वर्ष बाँटने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

**प्रभारी मंत्री**--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान का मंतव्य है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नही है कि बरसात के समय अत्यधिक प्राकृतिक बिजली कड़कने के कारण लाह का फसल पूरी तरह बर्बाद होता है, परन्तु अत्यधिक बिजली कड़कने से अगर कुसूम, बेर एवं पलास के पेड़ों पर असर पड़ने पर लाह की फसल प्रभावित हो सकती है ।

ज्ञातव्य है कि स्वस्थ बीहन लाह का न होना, बीहन लाह के संचारण के बाद लगातार बारिश होने तथा लाह कीट के संचारण के बाद ससमय उचित कीटनाशक एवं फफुन्दनाशक का छिड़काव नही होने से लाह की फसल प्रभावित होती है ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) ज्ञातव्य है कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या-1291, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के द्वारा राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें सिमडेगा जिला सम्मिलित नहीं है ।

परंतु पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होने के कारण हुए फसल नुकसान हेतु झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना अन्तर्गत सिमडेगा जिला के किसानों को सहायता राशि देने की कार्रवाई की जा रही है । इस निमित खरीफ मौसम 2022 में सिमडेगा जिला से कुल-34633 किसानों से आवेदन प्राप्त हुए है, जिनके फसल नुकसान का आकलन फसल कटनी प्रयोग के आधार पर किया जा रहा है । वैसे आवेदक किसान जिनकी प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान हुआ है उनको झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार राहत देते हुए फसल क्षति हेतु सहायता राशि दी जायेगी ।

लाह समेकित विकास योजनान्तर्गत झास्कोलैम्पफ के माध्यम से सिमडेगा सहित अन्य लाह प्रक्षेत्र/जिलों में लाह कृषकों को अनुदानित दर पर लाह किट वितरण हेतु वित्तीय वर्ष-2022-23 एवं 2023-24 में राशि की स्वीकृति दी गयी है । आगामी फसल जून-जुलाई 2023 से लाह किट का वितरण प्रारम्भ किया जायेगा ।

-------

691

श्री निरल पुरती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–38 का प्रश्नोत्तर।

| क्र. | प्रश्नकर्ता– श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 | उत्तरदात्ता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत बंजर भूमि/राईस फैलो विकास योजना अंतर्गत सरकारी तालाब/निजी तालाब जीर्णोद्धार/गहरीकरण योजना वर्ष 2019–20 में किसी भी लाभुक का भुगतान नहीं किया गया है; | अस्वीकारात्मक।<br>वित्तीय वर्ष 2019–20 में प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत बंजर भूमि/राईस फैलो विकास योजनान्तर्गत तालाब जीर्णोद्धार/गहरीकरण योजनान्तर्गत कुल 30 तालाब का भौतिक लक्ष्य प्राप्त था, जिसमें 22 तालाबों में कार्य के विरूद्ध कुल रू0 231.57300 लाख का भुगतान संबंधित योजना के पानी पंचायत के लाभुक को कर दिया गया है। इनमें से 06 तालाबों का कोविड–19 की पाबंदी एंव कोषागार से निकासी में 15 प्रतिशत की बंधेज के कारण भुगतान नहीं हो सका। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि पत्रांक–261/जि0भू0स0 चाईबासा दिनांक–02.11.2022 द्वारा कुल 79,38,368/–(उनासी लाख अड़तीस हजार तीन सौ अड़सठ) रूपये लाभुक समिति (पानी पंचायत) को भुगतान हेतु पुनः आवंटन की माँग की गयी है; | स्वीकारात्मक।<br>वित्तीय वर्ष 2019–20 के दायित्व की राशि के भुगतान हेतु जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, चाईबासा के माँग के आधार पर वित्तीय 2021–22 में संबंधित राशि उपलब्ध करायी गयी थी, परन्तु संबंधित कोषागार से विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण भुगतान नहीं हो पाया। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लाभुक समिति के भुगतान हेतु माँग की गयी राशि पुनः आवंटित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उक्त दायित्व की राशि का समीक्षोपरांत आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई करने पर विचार किया जायेगा। |

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

**ज्ञापांक**–03/कृ0वि0स0(ता0)–28/2023 758 /कृ0, राँची, दिनांक– 21/03/2023

**प्रतिलिपिः**– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–951 दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23

(विभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

**ज्ञापांक**–03/कृ0वि0स0(ता0)–28/2023 758 /कृ0, राँची, दिनांक– 21/03/2023

**प्रतिलिपिः**– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबवाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23

सरकार के अवर सचिव।

## योजना का लाभ ।

*692. श्री सुदिव्य कुमार--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 5000 एम०टी० क्षमता के एक-एक कोल्ड स्टोरेज, प्रत्येक प्रखण्ड में 30 एम०टी० क्षमता के एक-एक कोल्ड स्टोरेज तथा सुदूर गाँव जहाँ विद्युतीकरण का अभाव है, वहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित 05 एम०टी० क्षमता के इको फ्रेन्डली मिनि कोल्ड रूम का अधिष्ठापन किया जाना है;

(2) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत गिरिडीह सदर प्रखण्ड तथा पीरटॉड़ा प्रखण्ड के सुदूरवर्ती गाँव के किसानों के सुविधा प्रदान करने हेतु अबतक कोल्ड स्टोर निर्माण का कार्य शुरू नही हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिला अन्तर्गत गिरिडीह सदर प्रखण्ड में 5000 एम०टी० क्षमता के एक तथा पीरटॉड़ प्रखण्ड में 30 एम०टी० क्षमता के एक एवं सौर ऊर्जा संचालित 5 एम०टी० क्षमता के इको फ्रेन्डली मिनि कोल्ड का निर्माण कराकर यहाँ के किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । गिरिडीह जिला अन्तर्गत गिरिडीह प्रखण्ड के मंगरोडीह में 5000 एम०टी० क्षमता का शीत गृह निर्माणाधीन है । साथ ही गिरिडीह सदर प्रखण्ड के हंडाडीह पैक्स में 5 एम०टी० क्षमता के मिनी सोलर कोल्ड रूम का निर्माण कराया गया है ।

(3) गिरिडीह सदर प्रखण्ड के हंडाडीह पैक्स में 5 एम०टी० क्षमता के मिनी सोलर कोल्ड रूम का निर्माण कराया गया है, जबकि पीरटॉड़ प्रखण्ड में वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार के शीत गृह/कोल्ड रूम का निर्माण प्रस्तावित नही है ।

उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में 30 एम०टी० क्षमता के एक-एक कोल्ड रूम का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है तथा राज्य के सुदूर गाँव, जहाँ विद्युतीकरण का अभाव है तथा बिजली की अनियमितता रहती है वैसे गाँव के स्थानीय हाट/बाजार के आस-पास उपयुक्त स्थानों में जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित स्थल पद सौर ऊर्जा संचालित 05 एम०टी० क्षमता के इको फ्रेन्डली मिनी कोल्ड रूम का अधिष्ठापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है;

---

693

श्री बिरंची नारायण, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–06 का उत्तर :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | क्या यह बात सही है कि विभाग की ओर से बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में अध्ययनरत् दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के सुविधा हेतु छात्रावास का निर्माण कराया गया है, जहाँ 13 कमरों में विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है, जिसमें 1 कमरे में 4 विद्यार्थी रहते हैं; | स्वीकारात्मक।<br>बोकारो स्टील सिटी कॉलेज परिसर में विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के बालकों के लिए 50 शैय्या एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालकों के लिए 50 शैय्या छात्रावास का निर्माण किया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास में खाना हेतु मेस और सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति एवं सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं है, जिस कारण विद्यार्थियों को स्वयं अपने शयन कक्ष में ही भोजन पकाकर खाने पर विवश होना पड़ रहा है और यहाँ लगे बेड और पंखे भी काफी पुराने हो गए है, जिसके खराब होने पर इसकी मरम्मत भी विद्यार्थियों को स्वयं करानी पड़ती है एवं छात्रावास की साफ–सफाई और रख–रखाव भी इन्हीं विद्यार्थियों को करना पड़ता है, जिस कारण इनका अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>• वर्ष 2018 में गठित नियमावली ("झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास योजना नियमावली, 2018") के आलोक में वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है।<br>• छात्रावासों में रसोईया, सफाईकर्मी, रात्रि प्रहरी आदि की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य के लिए योजना तैयार की गई है, जिसपर अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तत्काल उक्त छात्रावास की सफाईकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों का पदस्थापन करते हुए इसके मेस को संचालित करवाने और खराब पड़े बेड एवं पंखे तथा अन्य संसाधनों का मरम्मत कराने अथवा बदलवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | • उपरोक्त कंडिका में छात्रावास में सफाईकर्मियों एवं सुरक्षाकर्मियों के पदस्थापन तथा मेस संचालन के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है।<br>• छात्रावासों में बेड आदि की आवश्यकता से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता के आलोक में छात्रावासों के लिए सामग्री एवं सुसज्जीकरण योजनान्तर्गत सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। |

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–06/2023–क– 657 /राँची, दिनांक– 17/03/2023

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–546, दिनांक–26.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2023

(योगेश कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

694

डॉ० लम्बोदर महतो, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– क०– 14 का उत्तर :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् झारखण्ड राज्य के रामगढ़ जिले के 135 वन अधिकार समितियों तथा बोकारो जिले के 125 वन अधिकार समितियों के द्वारा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा हेतु दावा प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) एवं अनुमंडल पदाधिकारी, चास की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण विगत कई वर्षों से लंबित है, जिसके कारण उक्त वनाधिकार समितियों में आक्रोश व्याप्त है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–385, दिनांक–13.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति, चास द्वारा अंचल अधिकारी, चास को कुल–146 व्यक्तिगत दावा प्रस्ताव सत्यापन हेतु भेजा गया है एवं अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति बेरमो (तेनुघाट) में इस प्रकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।<br>जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–235, दिनांक–13.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि वनपट्टा हेतु प्राप्त 135 आवेदनों की जाँच अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा की गयी तथा पाया गया कि ये वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ एवं बोकारो जिलों में लंबित 260 दावा प्रपत्रों का निष्पादन करते हुए वन पट्टा निर्गत करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों? | उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–385, दिनांक–13.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लम्बित आवेदनों पर अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है। |

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–08/व०अधि० तारां०–04/23– 725 राँची, दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–956, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vandana 22/03/23

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Santosh\Vidhan sabha 2023 ans letter.docx17

695

**श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक-23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-23 का उत्तर प्रतिवेदन**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता |
|---|---|
| श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची | श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची |

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 5000 एम0टी0 क्षमता के एक एक कोल्ड स्टोरेज प्रत्येक प्रखंड में 30 एम0टी0 क्षमता के एक एक कोल्ड स्टोरेज तथा सुदूर गाँव जहाँ विद्युतीकरण का अभाव है वहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित 05 एम0टी0 क्षमता के इको फेन्डली मिनी कोल्ड रूम का अधिष्ठापन किया जाना है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत महागामा, ठाकुरगंगटी तथा मेहरमा प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव के किसानों के सुविधा प्रदान करने हेतु अबतक कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>महागामा प्रखण्ड के उतरी पैक्स लि0 में 05 एम0टी0 क्षमता का कोल्ड रूम का निर्माण पूरा कर संचालन हेतु महागामा उतरी पैक्स लि0 को ही हस्तांतरित है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोड्डा जिला अन्तर्गत महागामा प्रखंड में 5000 एम0टी0 क्षमता के एक तथा मेहरमा प्रखण्ड में 30 एम0टी0 क्षमता के एक एवं ठाकुरगंगटी प्रखंड में सौर ऊर्जा संचालित 05 एम0टी0 क्षमता के पाँच इको फेन्डली मिनी कोल्ड स्टोर का निर्माण कराकर यहाँ के किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | प्रत्येक जिला में 5000 एम0टी0 क्षमता के एक-एक शीत गृह का निर्माण किया जाना है।<br>गोड्डा जिले के पौड़याहाट प्रखण्ड के सकरी फुलवार में 5000 एम0टी0 क्षमता के शीत गृह का निर्माण स्वीकृत है, परन्तु व्यवहारिक कठिनाईयों के आलोक में इसकी पुनर्समीक्षा की जा रही है।<br>मेहरमा प्रखण्ड के अजसधारा पैक्स लि0 में 30 एम0टी0 क्षमता के शीत गृह निर्माण एन0सी0डी0सी0 द्वारा सम्पोषित योजना के तहत प्रस्तावित है, एन0सी0डी0सी0 द्वारा सम्पोषित योजना प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने पर ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। परन्तु मेहरमा प्रखण्ड के अजसधारा पैक्स लि0 में 5 एम0टी0 क्षमता के इको फ्रेन्डली मिनी कोल्ड रूम हेतु चयनित है, एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है, निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। |



375
21.03.2023

| | | |
|---|---|---|
| | | राज्य के सुदूर गाँव, जहाँ विद्युतीकरण का अभाव है तथा बिजली की अनियमितता रहती है वैसे गाँव के स्थानीय हाट/बाजार के आस-पास उपयुक्त स्थानों में जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार चयनित स्थल पर सौर उर्जा संचालित 05 एम0टी0 क्षमता के इको फ्रेन्डली मिनी कोल्ड रुम का अधिष्ठापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ठाकुरगंगटी प्रखंड के लिए उक्त समिति द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। |

झारखण्ड सरकार

**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0 (विधान सभा)-06/2023 375 /राँची, दिनांक- 21.03.2023

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-768 वि0स0 दिनांक-01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(दयानन्द प्रसाद) 21/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

D:\S.Murmu\2022-23\Vidhan sabha Question 2022-23.docx

(696)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री कमलेश कुमार सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत खाद्य निगम गोदाम, हुसैनाबाद से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को 50 कि० ग्रा० प्रति बोरा खाद्यान्न के स्थान पर 48 कि०ग्रा० से 48.50 कि० ग्रा० तक ही खाद्यान्न दिया जाता है; | विभाग की यह व्यवस्था है कि डोर स्टेप डिलिवरी के परिवहन अभिकर्त्ता को झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से वजन कर के खाद्यान्न लेना है तथा जन वितरण प्रणाली दुकानदार को तौल कर खाद्यान्न प्राप्त करना है। यदि जन वितरण प्रणाली दुकानदार को तौलने पर खाद्यान्न कम प्राप्त होता है तो वे डोर स्टेप डिलिवरी के परिवहन अभिकर्त्ता के चालान पर कम खाद्यान्न प्राप्त होने की सूचना अंकित करते हुए प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। |
| (2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित खाद्यान्न कम प्राप्त होने के कारण जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लाभूकों को प्राप्त होने वाले खाद्यान्न में कटौती की जाती है; | वर्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा ई–पॉस मशीन के माध्यम से Biometric Authentication के आधार पर ई–पॉस मशीन के साथ Linked वेईंग मशीन से खाद्यान्न तौलकर लाभुकों को उपलब्ध कराया जाता है एवं वजन की रसीद लाभुकों को दी जाती है। |
| (3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जन वितरण के दुकानदारों के द्वारा तथा लाभूकों के द्वारा कई बार विरोध किया गया है तथा इसके संदर्भ में वरीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से शिकायत दर्ज कराई गई है, फलस्वरूप लाभूकों के शिकायत पर कई जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों पर तो कार्रवाई हो गई है, परन्तु जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के शिकायत पर गोदाम मैनेजर अथवा संबंधित किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है; | खाद्यान्न वितरण कार्य में अनियमितता बरतने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती रही है। अनियमितता बरतने वाले कई पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। पलामू जिले में भी राज्य खाद्य निगम गोदाम, हुसैनाबाद के सहायक गोदाम प्रबंधक श्री अरविन्द कुमार सिंह के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में उन्हें निलंबित कर दिया गया है एवं राशि वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है। |
| (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को तय मानक के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ? | जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के डोर तक डोर स्टेप डिलिवरी के परिवहन अभिकर्त्ता को खाद्यान्न पहुँचाने की जिम्मेवारी है। जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा दुकानों में अधिष्ठापित वेईंग मशीन से खाद्यान्न तौलकर प्राप्त करना है। कम खाद्यान्न प्राप्त होने की स्थिति में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जन वितरण प्रणाली दुकानदार शिकायत कर सकते हैं। |

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–32/2023 1012/राँची, दिनांक 22/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–1172, दिनांक 14.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

697

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 23.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सरयू राय
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराने तथा लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाने का सरकार का निर्णय लागू नहीं हो पाया है; | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों के लिए प्रति परिवार एक किलोग्राम चना दाल (05 किलोग्राम के पैकेट में) प्रतिमाह एक रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से वितरण करने की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–2111, दिनांक 28.07.2022 द्वारा दी गई है। उक्त के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता के चयन हेतु पूरे वर्ष की आवश्यकता के आलोक में निविदा प्रकाशित की गई थी, जिसके तहत प्राप्त दर बाजार दर से काफी अधिक (रूपये 71.94 प्रति किलोग्राम + GST) रहने के कारण पुनर्निविदा प्रकाशित हो चुकी है। निविदा के निस्तारोपरांत शीघ्र चना दाल का वितरण लाभुक परिवारों के बीच किया जायेगा।<br><br>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों की संख्या का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अधिनियम के तहत राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य 2,64,25,385 है।<br><br>झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 + 5 = 20 लाख लाभुकों को आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें यह भी प्रावधान सन्निहित है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में जैसे जैसे लाभुकों की मृत्यु/अन्य कारणों से खाली होंगे वैसे वैसे झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक, NFSA में Auto Shift होते जायेंगे। दिनांक 24.02.2023 के आँकड़ों के अनुसार अबतक वस्तुतः झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (ग्रीन राशनकार्ड) अन्तर्गत कुल 31,69,169 लाभुक बने हैं एवं Auto Shifting के तहत कुल 16,45,886 लाभुक NFSA में Shift हुए हैं। दिनांक 24.02.2023 के आँकड़ों के अनुसार 14,64,596 लाभुक झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत आच्छादित है। Auto Shifting की प्रक्रिया सतत् होती रहती है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि राशन वितरण करनेवाली मशीन को 2जी से 4जी में अद्यतन नहीं किए जाने के कारण राशन दुकानों से लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने में काफी कठिनाईयाँ हो रही हैं और राशन लेने में बहुत समय लग रहा है तथा लाभुकों की बड़ी संख्या राशन प्राप्त करने से वंचित हो जा रही है; | वर्तमान में राज्यभर में कार्यरत ई–पॉस मशीन 2G मोड में है तथा लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए एवं कमजोर नेटवर्क क्षेत्रों वाले दुकानों में 4G Dongle एवं 12db Antenna का अधिष्ठापन कर नेटवर्क में सुधार करने का प्रयास किया गया है एवं खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।<br><br>पश्चिम सिंहभूम के 50 जन वितरण प्रणाली दुकानों एवं रामगढ़ जिले के 07 जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉयलट आधारित 4G मशीनों का परीक्षण किया जा रहा है। |

| | |
|---|---|
| (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतायेगी कि लाभुकों को दाल देने और वितरण मशीन को अद्यतन कर उनकी कठिनाईयाँ दूर करने की दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है ? | जैसा कि कंडिका–1 में उल्लेख किया गया है कि दाल में अधिक दर प्राप्त होने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा निस्तारोपरांत लाभुक परिवारों को प्रतिमाह एक किलोग्राम चना दाल एक किलोग्राम के पैकेट में आपूर्ति की जायेगी।<br>पायॅलट बेसिस पर कार्यरत 4G ई–पॉस मशीनों के कार्य क्षमता का अध्ययन करने के पश्चात इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा। |

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–31/2023 1013 /राँची, दिनांक 22/03/23
प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 1173, दिनांक 14.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/23
सरकार के अवर सचिव।

698

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–09 का उत्तर

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या–2238, दिनांक– 30.09.2022 के तहत झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली– 2022 की स्वीकृति दी गयी है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली की कंडिका 6 (2) में अनुकंपा के आधार पर सेवाकाल के दौरान मृत सेविका/सहायिका के आश्रितों की नियुक्ति किया जाना प्रावधानित है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली को दर किनार करते हुए बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत हजारी पंचायत के ग्राम खुदगड्डा उपर टोला में सेविका की मृत्यु हो जाने के बाद आम सभा का आयोजन किया गया है ; | अस्वीकारात्मक।<br>जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका की मृत्यु दिनांक–31.07.2021 को हुई तथा नियमावली दिनांक–30.09.2022 के प्रभाव से लागू हुई। अतः सेविका चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया था, जो असफल रहा एवं उक्त आमसभा में किसी का चयन नहीं किया जा सका। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नियमावली के आधार पर ग्राम साड़म सहित पूरे राज्य में मृत सेविका/ सहायिका के आश्रितों की सीधी नियुक्ति बगैर आम सभा किये अविलंब कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ? | दिनांक–30.09.2022 की तिथि से नियमावली निर्गत है तथा उक्त तिथि से ही नियमावली में निहित प्रावधान के तहत् मृत सेविका/सहायिका के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। दिनांक– 30.09.2022 के पूर्व मृत सेविका/सहायिका के आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ देय नहीं है। |

## झारखण्ड सरकार
## महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–83/2023 – 761 राँची, दिनांक : 22.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1174/वि0स0 दिनांक–14.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/23
(अरशद अमोल)
सरकार के अवर सचिव।